

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 650]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2025 — श्रावण 22, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2025

#### अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35010/2132/2025-UAD. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29-(ए) के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पंचायत बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर चांपा हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है:-

#### अनुसूची

| क्र. | वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम                    |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.   | अनुसूचित जाति वर्ग               | 01            | डॉ. भीमराव जी अम्बेडकर वार्ड    |
|      |                                  | 07            | बाबा गुरु घासीदास वार्ड         |
| 2.   | अन्य पिछड़ा वर्ग                 | 10            | नेता जी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड  |
|      |                                  | 13            | महाराणा प्रताप वार्ड            |
|      |                                  | 15            | अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड        |
| 3.   | अन्य पिछड़ा वर्ग(महिला)          | 05            | शहीद भगत सिंह वार्ड             |
|      |                                  | 08            | डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड |
| 4.   | महिला वर्ग                       | 02            | लाल बहादुर शास्त्री वार्ड       |
|      |                                  | 09            | पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड      |
|      |                                  | 12            | जय शाकम्भरी माता वार्ड          |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक GENCOR-35010/2132/2025-UAD. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-8-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th August 2025

#### NOTIFICATION

No. GENCOR-35010/2132/2025-UAD. - In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 29-(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the state Government hereby notify the list of reserved ward of Nagar Panchayat Bamhanidih, Distt- Janjgir-Champa as per the schedule given below:-

#### SCHEDULE

| Sl.No. | Reservation for Category      | Ward No. | Name of the Wards                 |
|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1.     | Scheduled Caste               | 01       | Dr. Bhimrao ji Ambedkar Ward      |
|        |                               | 07       | Baba Guru Ghasidas Ward           |
|        |                               |          |                                   |
| 2.     | Other Backward Class          | 10       | Neta Ji Subhash Chandra Bose Ward |
|        |                               | 13       | Maharana Pratap Ward              |
|        |                               | 15       | Atal Bihari Vajpayee Ward         |
|        |                               |          |                                   |
| 3.     | Other Backward Class (Female) | 5        | Shahid Bhagat Singh Ward          |
|        |                               | 8        | Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward   |
|        |                               |          |                                   |
| 4.     | Female                        | 2        | Lal Bahadur Shastri Ward          |
|        |                               | 9        | Pdt. Dindayal Upadhyay Ward       |
|        |                               | 12       | Jai Shakambhari Mata Ward         |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.